:: न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा
जिला–डूँगरपुर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी:– सोनू कुमार गुर्जर RAS

दायर दिनांक:–30.04.2025

प्रकरण संख्या:–21/2025

मणिलाल पिता नाथू जाति लौहार उम्र बालिग निवासी पाडली गुजरेश्वर तहसील झौंथरीपाल जिला–डूंगरपुर राज.।

——प्रार्थीगण

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार झौंथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र बाबत् पत्थरगढी कराने अन्तर्गत धारा 111 भू.रा.अधि.

उपस्थितः–
1. अधिवक्ता श्री मनीष कुमार कलाल प्रार्थी की ओर से।
2. पेरोकार सरकार, तहसीलदार सीमलवाड़ा की ओर से।

दिनांक 02/06/2025

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि गाँव ड्रूँगेलातालाब कें जमाबन्दी खाता सख्या 21 के खसरा 335/45, 46 का रकबा कमशः 0.0404 हैक्टेयर एवं 0.0242 हैक्टेयर भूमि है जिस पर प्रार्थी काबीज होकर काश्त करता आ रहा है। यह कि बिन्दू सख्या 1 में वर्णित आराजी में बतौर खातेदार प्रार्थी ने कार्यालय तहसीलदार तहसील झौथीपाल में सिंमाकन हेतु आवेदन किया है। श्रीमान तहसीलदार साहब का आदेश कमांक राजस्व/सींमाकन/2024/158–163 दिनांक 17/05/2024 है। यह कि प्रार्थी के आवेदन पर तहसीलदार साहब ने सिंमाकन का आदेश किया फीर भी पटवारी पटवार मण्डल पाडलीगुजरेश्वर द्वारा सिंमाकन नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने पर पटवारी द्वारा 13/01/2025 को मौका पर्चा तैयार किया है जिसमें गलत तथ्यों का अंकन किया हैं। यह कि प्रार्थी के सीमाकन आदेश के बाद भी सीमाकन नहीं किए जाने पर, प्रार्थी ने श्रीमान् तहसीलदार साहब एवं श्रीमान् जिला कलेक्टर साहब को भी प्रार्थनापत्र प्रेषित किया है, जिस पर पटवारी साहब द्वारा प्रार्थी का सीमाकन कर देने का आश्वासन देकर, प्रार्थी को कोरे कागजो पर हस्ताक्षर भी करवाए है। यह कि प्रार्थी के बार–बार निवेदन पर भी पटवारी साहब द्वारा सिंमाकन नहीं किया गया है तथा पटवारी साहब द्वारा कहा गया है कि उपखण्ड न्यायालय से पत्थरगढी का आदेश करवाने के पश्चात ही सीमांकन कर देने की बात कही है। यह कि प्रार्थी की उक्त आराजी की सीमा को लेकर विवाद की स्थिती पेदा होती है जिसके स्थाई

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

निराकरण हेतु पत्थरगढी कर, पत्थर लगा कर स्थाई सीमा चिन्ह के साथ में पत्थरगढी की जानी आवश्यक है। यह कि प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी 'प्रार्थी की खातेदारी कब्जे स्वामित्व की होकर उनकी पैत्रक भूमि है पत्थरगढी करवाना प्रार्थीगण का हक अधिकार होकर प्रथम दृष्टया मामला, एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि पत्थर गढ़ी नहीं की गई तो प्रार्थीगण को अपूरणीयक्षती होगी और अकारण वाद की बाहुल्यता होगी। यह कि प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी गाँव ड्रूँगेलातालाब तहसील झौथरीपाल की होने से श्रीमान् के क्षेत्राधीकार एवं श्रवणाधिकार में है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की गाँव ड्रूँगेलातालाब खाता सख्या 21 के खसरा संख्या 335/45 एवं 46 का रकबा क्रमशः 0.0404 हैक्टेयर एवं 0.0242 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी पत्थर लगा कर, स्थाई चिन्ह लगा कर करने का आदेश पारित किया जावे, जिसका पालना हेतु तहसीलदार तहसील झौधरीपाल को आदेशित किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार झौंथरीपाल की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। तहसीलदार झौंथरीपाल द्वारा अपने जवाब में बताया गया है कि उक्त प्रकरण में कभी अप्रार्थीगण तो कभी प्रार्थी मौके पर उपस्थित नहीं होने के कारण सीमाज्ञान की कार्यवाही नहीं हो पायी है। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान बताया कि प्रकरण में तहसीलदार झौंथरीपाल द्वारा प्रार्थी के मौके पर उपस्थित होने के बावजूद सीमाज्ञान की कार्यवाही नहीं की गई है। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर कई बार परिवाद भी दर्ज कराया गया, किन्तु आज दिनांक तक प्रार्थी को राहत प्रदान नहीं की गई है, जिससे यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया।

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण, उक्त खातेदारी भूमि की पत्थर गढी, पत्थर लगा कर, स्थाई सीमा चिन्हों के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ कराना चाह रहे है। ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र न्यायसंगत होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थी की गांव मौजा डूंगेला तालाब के जमाबन्दी खाता संख्या 21 के खसरा सं. 335/45 एवं 46 रकबा क्रमशः 0.0404 हैक्टेयर एवं 0.0242 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसका सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थी

Scanned with OKEN Scanner

पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है। अतः तहसीलदार झौंथरीपाल को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की गांव मौजा डूंगेला तालाब के जमाबन्दी खाता संख्या 21 के खसरा सं. 335/45 एवं 46 रकबा क्रमशः 0.0404 हैक्टेयर एवं 0.0242 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करें। पत्थरगढ़ी की कार्यवाही के दौरान निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित होवें:-

1. पत्थरगढ़ी की फीस प्रार्थी से प्राप्त कर राजकोष में जमा करवायें।
2. पत्थरगढ़ी की कार्यवाही से पूर्व, पडौसी खातेदारान को विधिवत् सूचित कर उभयपक्षकारान की उपस्थिति विधिक प्रक्रियानुसार पत्थरगढ़ी की कार्यवाही सम्पादित करें।
3. पत्थरगढ़ी के माध्यम से एक पक्ष से दूसरे पक्ष को कब्जा हस्तांतरण न करें।
4. मौके पर कब्जा सम्बन्धी वाद है तो इस आदेश की पालना में किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करें।
5. कब्जा सम्बन्धी मामलों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 में पृथक् से प्रावधान है। उस प्रक्रिया के माध्यम से अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

तहसीलदार झौंथरीपाल आदेश की पालना कर रिपोर्ट न्यायालय में अविलम्ब पेश करें। तहसीलदार तहसील झौंथरीपाल, थानाधिकारी पुलिस थाना चौरासी को तहरीर जारी कर, माकुल पुलिस जाब्ता प्राप्त करें।

(सोनू कुमार गुर्जर, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

उक्त निर्णय आज दिनांक 02/06/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट सीमलवाड़ा
सत्यमेव जयते
जि. डूंगरपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner